

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1
(पैराग्राफ 1.1.3 में संदर्भित)
रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग 'क' प्राप्तियाँ										
1. राजस्व प्राप्तियाँ	34,999	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798	62,233
(i) कर राजस्व (स्वयं)	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681	59,458
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	0	0	13,621	19,187	19,465	15,676	22,263	27,324	31,571	35,623
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20,246	21,144	11,149	5,886	5,475	4,411	5,099	5,582	6,552	7,241
राज्य उत्पाद शुल्क	4,238	4,251	4,453	5,028	5,068	4,108	5,488	5,548	5,164	5,701
वाहन कर	1,607	1,809	2,116	2,055	1,948	1,676	1,956	2,884	3,242	3,241
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,433	3,144	4,117	4,459	4,606	3,549	5,212	6,023	7,152	7,651
भू-राजस्व	1	2	2	0	3	4	0	0	0	0
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य कर	701	790	259	10	1	1	1	2	0	1
(ii) गैर-कर राजस्व	515	381	766	644	1,097	980	827	581	1,024	911
(iii) केंद्रीय कर एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iv) भारत सरकार ¹ से प्राप्त अनुदान	4,258	2,825	2,184	5,844	9,473	11,459	8,467	14,759	2,093	1,864
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ऋण और अग्रिम की वसूलियाँ	83	212	691	1,644	823	631	623	1,258	98	48
4. कुल राजस्व और गैर- ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	35,082	34,558	39,358	44,757	47,959	42,495	49,936	63,961	56,896	62,281
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193	3,251	0	142

(₹ करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंतरिक ऋण (कोई अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट नहीं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कुल लेनदेन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193	3,251	0	142
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	37,323	36,254	41,264	47,637	52,724	57,860	61,129	67,212	56,896	62,423
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	10	0	2	95	143	79	74	52	7	50
8. लोक लेखा प्राप्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	37,333	36,254	41,266	47,732	52,867	57,939	61,203	67,264	56,903	62,473
भाग 'ख' व्यय/संवितरण										
10. राजस्व व्यय	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336	49,986
कार्यक्रम	24,589	27,542	31,631	34,592	38,460	39,277	44,544	47,009	49,283	41,985
प्रशासनिक	1,754	1,760	2,123	2,260	1,177	1,137	1,499	1,237	1,053	8,001
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	6,427	6,590	7,196	7,605	7,083	6,295	6,953	7,322	7,162	7,567
सामाजिक सेवाएं	14,818	16,579	19,602	21,663	22,145	22,693	26,294	27,177	28,182	27,973
आर्थिक सेवाएं	4,139	5,112	5,862	5,219	6,530	8,514	9,328	9,423	9,773	8,686
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को मुआवजा और समनुदेशन	959	1,021	1,094	2,365	3,879	2,912	3,468	4,324	5,219	5,760
11. पूंजीगत व्यय	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855	3,695
कार्यक्रम	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065	6,729	3,615
प्रशासनिक	0	0	0	0	0	0	0	0	126	80
सामान्य सेवाएं	377	350	228	180	389	246	374	625	469	259
सामाजिक सेवाएं	1,699	2,130	1,575	1,755	3,572	2,669	5,062	4,566	2,678	1,786

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आर्थिक सेवाएं	2,647	1,274	1,440	1,331	1,511	1,784	2,875	2,874	3,708	1,650
12. ऋण और अग्रिम का संवितरण	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639	2,876
13. आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830	56,557
15. लोक ऋण की चुकौती	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994	4,914
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कुल लेनदेन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994	4,914
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	10	0	0	90	0	0	0	0	0	0
17. समेकित निधि से कुल संवितरण (14+15+16)	35,196	37,263	40,927	46,156	51,186	52,468	61,172	64,110	65,824	61,471
18. आकस्मिकता निधि से संवितरण	0	0	2	5	143	79	74	52	7	50
19. लोक लेखा संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. रा. रा. क्षे. दि. स. द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	35,196	37,263	40,929	46,251	51,329	52,547	61,246	64,162	65,831	61,521
भाग 'ग' घाटे										
21. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	8,656	5,045	4,913	6,261	7,499	1,450	3,270	14,457	6,462	12,247
22. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-14)	1,331.00	-1050	113	2,237	-416	-6,708	-7021	4,566	-3934	5,724
23. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष(+) (22+24)	4,142	1,833	2,984	5,104	2,336	-3,834	-3,747	7,832	-840	8,390

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग 'घ' अन्य आंकड़े										
24. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	2,810	2,883	2,871	2,867	2,752	2,874	3,274	3,266	3,094	2,666
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	8,211	8,889	10,081	10,322	10,734	12,553	13,515	15,142	17,047	16,449
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (₹ लाख करोड़ में)	5.51	6.16	6.78	7.38	7.93	7.44	8.71	10.00	11.13	12.15
27. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	33,304	33,345	33,569	32,812	34,767	41,002	41,786	40,322	35,329	30,556
भाग 'ड.' राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (प्रतिशत में)										
I. संसाधन संग्रहण										
स्वयं कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.49	5.05	5.27	4.96	4.61	3.95	4.60	4.74	4.82	4.89
स्वयं गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.09	0.06	0.11	0.09	0.14	0.13	0.09	0.06	0.09	0.07
स्व-राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.58	5.12	5.38	5.05	4.75	4.09	4.69	4.80	4.92	4.97
स्व-राजस्व/कुल व्यय	91.08	88.52	92.96	87.65	77.86	61.80	71.71	80.72	89.93	106.74
II. व्यय प्रबंधन										
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	6.13	5.78	5.79	5.76	6.10	6.61	6.54	5.94	5.47	4.65
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	96.43	103.67	101.49	98.62	102.63	117.53	115.50	94.72	107.10	90.88
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.05	82.29	86.01	86.67	81.94	82.14	80.84	81.23	82.75	88.38
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	69.04	70.47	72.57	70.48	69.78	72.48	76.48	74.15	72.89	70.89
पूंजीगत व्यय व्यय/कुल व्यय	14.00	10.54	8.26	7.68	11.31	9.55	14.59	13.58	11.27	6.53
पूंजीगत व्यय/स.रा.घ.उ.	0.86	0.61	0.48	0.44	0.69	0.63	0.95	0.81	0.62	0.30
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन										
राजस्व अधिशेष/स.रा.घ.उ.	1.57	0.82	0.72	0.85	0.95	0.19	0.38	1.45	0.58	1.01
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.24	-0.17	0.02	0.30	-0.05	-0.90	-0.81	0.46	-0.35	0.47

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.75	0.30	0.44	0.69	0.29	-0.52	-0.43	0.78	-0.08	0.69
IV. ऋण संधारणीयता										
बकाया देयताएं/स.रा.घ.उ.	6.05	5.41	4.95	4.44	4.38	5.51	4.80	4.03	3.17	2.51
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	8.03	8.39	7.42	6.65	5.84	6.87	6.64	5.21	5.45	4.28

परिशिष्ट-1.2

(पैराग्राफ 1.2.3.1, 1.2.3.2 में संदर्भित)

वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	कार्यक्रम	कुल
खंड 'क': राजस्व							
56,797.79	I. राजस्व प्राप्तियां	62,232.85	50,335.48	I. राजस्व व्यय-	7,944.58	42,041.23	49,985.81
53,680.79	कर राजस्व	59,458.03	7,161.88	सामान्य सेवाएं	7,566.80	0	7,566.80
1,023.86	गैर-कर राजस्व	910.80	28,181.98	सामाजिक सेवाएं-	243.60	27,729.39	27,972.99
2,093.14	गैर-योजना अनुदान	1,864.02	13,958.99	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	49.97	14,577.68	14,627.65
955.34	केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	1,486.02	6,680.22	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	29.95	6,889.94	6,919.89
1,137.80	राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	378.00	3,301.64	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1.77	2,291.88	2,293.65
			31.58	सूचना और प्रसारण	21.81	1.46	23.27
			83.83	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-0.28	131.54	131.26
			168.91	श्रम और श्रमिक कल्याण	43.46	132.52	175.98
			3,942.08	सामाजिक कल्याण और पोषण	83.62	3,703.52	3,787.14
			14.73	अन्य	13.3	0.85	14.15
			9,772.43	आर्थिक सेवाएं-	134.18	8,551.89	8,686.07
			161.65	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	30.62	124.48	155.10
			15.25	ग्रामीण विकास	0	14.00	14.00
			252.16	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	29.03	214.32	243.35
			3,271.51	ऊर्जा	0	3,638.08	3,638.08
			30.37	उद्योग और खनिज	17.46	10.66	28.12

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	कार्यक्रम	कुल
			5,744.73	परिवहन	0.50	4,325.60	4,326.10
			65.54	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	0	31.88	31.88
			231.22	सामान्य आर्थिक सेवाएं	56.57	192.87	249.44
			5,219.19	सहायता अनुदान और अंशदान-	0	5,759.95	5,759.95
			6,462.31	II. अग्रणीत राजस्व अधिशेष			12,247.04
खंड 'ख' : पूंजीगत							
14,450.47	III. प्रारंभिक शेष	5,522.64	6,855.41	IV. पूंजीगत परिव्यय -	79.53	3,615.31	3,694.84
0	IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0	469.34	सामान्य सेवाएं-	72.11	186.66	258.77
98.25	V. ऋण और अग्रिम की वसूली-	47.97	2,678.47	सामाजिक सेवाएं-	3.13	1,782.92	1,786.05
47.27	विद्युत परियोजनाओं से	47.27	722.35	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0	282.44	282.44
0.64	सरकारी कर्मचारियों से	0.48	875.05	स्वास्थ्य और परिवार	0.07	405.71	405.78
50.34	अन्य से	0.22	997.57	कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	0	1,001.87	1,001.87
6,462.31	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया	12,247.04	0.11	सूचना और प्रसारण	0.09	0	0.09
0	VII. लोक ऋण प्राप्तियां-	142.00	38.05	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	36.71	36.71
0	ओवरड्राफ्ट के अधीन	0	26.55	सामाजिक कल्याण और पोषण	2.97	38.35	41.32
0	केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	142	18.79	अन्य	0	17.84	17.84

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	कार्यक्रम	कुल
0	VIII. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0	3,707.61	आर्थिक सेवाएं-	4.29	1,645.73	1,650.02
7.23	IX. आकस्मिकता निधि में अंतरित राशि	49.61	79.94	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	0.24	101.07	101.31
			152.72	ग्रामीण विकास	0.01	156.99	157.00
			83.05	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	0	87.51	87.51
			0	ऊर्जा	0	0	0
			0.19	उद्योग और खनिज	0.12	0	0.12
			3,384.61	परिवहन	0	1,298.90	1,298.90
			0.69	वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान	0	0.34	0.34
			6.41	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.92	0.92	4.84
			3,639.28	V. संवितरित ऋण और अग्रिम-	0.53	2,875.51	2,876.04
				विद्युत परियोजनाओं के लिए	0	0	0
				सरकारी कर्मचारियों के लिए	0.53	0	0.53
				अन्य के लिए	0	2,875.51	2,875.51
			4,993.69	VI. लोक ऋण का पुनर्भुगतान -	0	4,914.32	4,914.32
			4,993.69	केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम का पुनर्भुगतान	0	4,914.32	4,914.32
			0	VIII. आकस्मिकता निधि हेतु विनियोजन	0	0	0
			7.23	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	0	49.61	49.61

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
					प्रशासनिक	कार्यक्रम	कुल
			5522.64	X. अंत शेष को भारत सरकार के अंतिम नकद शेष में मिला दिया जाएगा	0	6,474.45	6,474.45
21,018.26	कुल	18,009.26	21,018.26	कुल	80.06	17,929.20	18,009.26

परिशिष्ट-1.3

(पैराग्राफ 1.1.5 में संदर्भित)

31 मार्च 2025 तक रा.रा.क्षे.दि.स. की वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2025 तक
देयताएं		
0	आंतरिक ऋण	0
47,387	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	42,614
18,724	गैर-योजना ऋण	16,038
28,663	विधानमंडल योजनाओं वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऋण	26,576
100	आकस्मिकता निधि	100
-	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-
1,588	1994-95 के दौरान सीजीए से स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष	1,588
3,356	1994-95 के दौरान सीजीए से स्वीकृत ऋण और अग्रिम का शेष	3,356
1,29,128	व्यय की तुलना में प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	1,41,375
1,81,559	कुल	1,89,033
परिसंपत्तियां		
98,215	अचल संपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	1,01,910
21,437	कंपनी, निगम आदि के शेयरों में निवेश	
76,778	अन्य पूंजीगत परिव्यय	
77,821	ऋण और अग्रिम	80,649
8,658	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	
47,968	अन्य विकास ऋण	
21,195	सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	
5,523	भारत सरकार के अंतिम नकद शेष के साथ विलियत अंत शेष	6,474
1,81,559	कुल	1,89,033

परिशिष्ट-2.1

(पैराग्राफ 2.5.2 में संदर्भित)

ऐसे मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 2 करोड़ या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	03- न्याय प्रशासन	2,280.41	105.59	2,386.00	1,884.97	501.03
2	05- गृह	1,100.42	54.35	1,154.77	1,035.47	119.30
3	06- शिक्षा	16,056.41	77.85	16,134.26	14,773.06	1,361.20
4	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,630.88	155.53	7,786.41	6,772.29	1,014.12
5	08- समाज कल्याण	11,186.08	396.69	11,582.77	7,722.94	3,859.83
6	10- विकास	3916.87	621.85	4538.72	3811.04	727.68
कुल		42,171.07	1,411.86	43,582.93	35,999.77	7,583.16
राजस्व (प्रभारित)						
7	03- न्याय प्रशासन	599.42	17.42	616.84	580.60	36.24
कुल		599.42	17.42	616.84	580.60	36.24
पूंजीगत (दत्तमत)						
8	04- वित्त	78.25	7.56	85.81	35.63	50.18
9	05- गृह	140.64	8.77	149.41	53.97	95.44
10	06- शिक्षा	101.47	72.08	173.55	50.31	123.24
11	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	257.28	143.81	401.09	112.17	288.92
12	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	7,413.66	1,048.66	8,462.32	4,810.81	3,651.51
कुल		7,991.30	1,280.88	9,272.18	5,062.89	4,209.29
कुल योग		50,761.79	2,710.16	53,471.95	41,643.26	11,828.69

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.2

(पैराग्राफ 2.5.3 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोग
(प्रत्येक मामले में ₹ 2 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या और नाम	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
राजस्व (दत्तमत)								
1	अनुदान सं. 06- शिक्षा	2202.01.113.98 समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	132.00	0.02	54.98	187.00	100.62	86.38
2		2202.02.106.89 पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण	120.00	0.01	16.99	137.00	78.43	58.57
3		2202.02.113.98 समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	28.65	0.02	22.33	51.00	18.27	32.73
4		2202.02.113.97 समग्र शिक्षा (केंद्र प्रायोजित योजना)	65.00	0.01	11.49	76.50	47.70	28.80
5		2202.03.102.89 नई दिल्ली स्थित नेशनल लॉ स्कूल विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	44.00	0.02	31.85	75.87	40.87	35.00
6	अनुदान सं. 07- चिकित्सा	2210.01.800.41 दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (राज्य का हिस्सा)	106.66	48.24	44.65	199.55	154.80	44.75
7	एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.110.87 जीबी पंत अस्पताल	447.67	0.02	11.44	459.13	434.05	25.08
8	अनुदान सं. 08- समाज कल्याण	2235.02.103.06 महिला समृद्धि योजना (उप-शीर्ष)	0.00	0.01	49.99	50.00	0.00	50.00
9	अनुदान सं. 09- उद्योग	3456.00.102.85 एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता (राज्य का हिस्सा)	36.00	0.00	4.00	40.00	0.00	40.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या और नाम	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
10	अनुदान सं. 10-विकास	3604.00.102.97 करों में हिस्से के बदले दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	2,210.00	480.01	6.99	2,697.00	2,652.38	44.62
11	अनुदान सं. 11-शहरी विकास	2215.01.191.98 अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	160.00	0.02	17.98	178.00	98.69	79.31
12		2216.05.053.97 अनुरक्षण और मरम्मत	80.35	0.01	9.61	89.97	66.74	23.23
13		3054.04.105.97 जिला सड़कें	325.00	0.03	48.64	373.67	322.16	51.51
	कुल		3,755.33	528.42	330.94	4,614.69	4,014.71	599.98
पूँजीगत (दत्तमत)								
14	अनुदान सं. 07-चिकित्सा एवं जन	4210.01.103.96 पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)(सीएसएस)	0.00	143.68	6.32	150.00	0.00	150.00
15	स्वास्थ्य	4210.01.103.95 पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)(राज्य का हिस्सा)	0.00	0.01	99.99	100.00	0.00	100.00
16	अनुदान सं. 11-शहरी विकास	7615.00.200.75 दिल्ली जल बोर्ड को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	800.00	1,048.15	451.85	2,300.00	1,704.26	595.74
	कुल		800.00	1,191.84	558.16	2,550.00	1,704.26	845.74
	कुल योग		4,555.33	1,720.26	889.10	7,164.69	5,718.97	1,445.72

परिशिष्ट- 2.3

(पैराग्राफ 2.5.3 में संदर्भित)

‘अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण’ में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
2022-23							
राजस्व (दत्तमत)							
1	2215.01.191.98- अनधिकृत कॉलोनिओ में पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	275.00	0.02	55.65	330.67	273.11	57.56
2	2217.05.191.96- स्मार्ट सिटी (सीएसएस) के लिए एनडीएमसी को सहायता अनुदान	50.00	0.01	47.99	98.00	49.00	49.00
3	2217.05.191.95- अमृत (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	40.00	0.01	114.99	155.00	0.00	155.00
4	2217.80.191.04.95- शहरी विकास विभाग, क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (सीएसएस)	2.70	0.00	2.30	5.00	0.00	5.00
5	2810.00.105.98- सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित असंवेदनशील योजना	5.00	0.01	3.59	8.60	0.00	8.60
पूँजीगत (दत्तमत)							
6	4210.01.110.65- मौजूदा अस्पतालों का पुनर्निर्माण	500	0.01	27.99	528	466.95	61.05
	कुल	872.70	0.06	252.51	1,125.27	789.06	336.21
2023-24							
राजस्व (दत्तमत)							
7	2215.01.102.97.98- ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	5.00	0.01	11.99	17.00	4.79	12.21
8	2215.01.191.98- अनधिकृत कॉलोनिओ में पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	240.00	0.02	66.52	306.54	151.79	154.75
9	2215.01.191.70- दिल्ली जल बोर्ड को पुनर्वास कॉलोनिओ में पानी के लिए सहायता अनुदान	10.00	0.02	8.98	19.00	7.16	11.84
10	2215.02.191.87- ग्रामीण इलाकों में सीवेज के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	4.00	0.01	4.99	9.00	3.00	6.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
11	2217.05.800.88- अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं का प्रावधान	2.00	0.00	4.52	6.52	0.02	6.50
12	3475.00.108.94- दीन दयाल अंत्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना)	5.37	0.01	2.68	8.06	0.00	8.06
13	2810.00.105.98- सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना	5.00	0.01	9.13	14.14	1.17	12.97
पूँजीगत (दत्तमत)							
14	6215.01.191.78- मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	250.00	0.01	6.99	257.00	185.62	71.38
15	6215.01.191.76- दिल्ली जल बोर्ड को मीटरिंग और रिसाव प्रबंधन के लिए ऋण	30.00	0.01	30.99	61.00	24.62	36.38
16	6215.01.191.75- शहरी क्षेत्रों में रैनी कुओं और नलकूपों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	100.00	0.01	26.99	127.00	61.94	65.06
17	6215.01.191.74- दिल्ली जल बोर्ड को स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय स्थान के लिए ऋण	20.00	0.02	9.98	30.00	13.00	17.01
18	6215.02.191.86- जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	25.00	0.01	9.99	35.00	6.38	28.62
19	6215.02.191.85- यमुना कार्य योजना-III के अंतर्गत सीवरों की पुनः स्थापना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य का हिस्सा)	250.00	0.01	124.99	375.00	250.00	125.00
20	6215.02.191.84- ट्रंक परिधीय सीवर और ग्रेविटी डक्ट के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	150.00	0.01	14.99	165.00	95.16	69.84
21	4059.80.051.76- राष्ट्रीय ध्वज के लिए खंभे की स्थापना	1.00	0.01	2.99	4.00	0.00	4.00
22	5054.04.101.92- एलिवेटेड कोरिडोर बारापुल्ला नाला- चरण II का निर्माण	100.00	0.01	21.99	122.00	95.92	26.08
	कुल	1,197.37	0.18	358.71	1,556.26	900.57	655.70
2024-25							
राजस्व (दत्तमत)							
23	2215.01.191.98- अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	160.00	0.02	17.98	178.00	98.69	79.31

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
24	2215.01.191.66- दिल्ली जल बोर्ड को जल गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सहायता अनुदान	0.00	0.01	5.99	6.00	0.00	6.00
25	2215.02.106.99- दिल्ली जल बोर्ड को शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए सहायता अनुदान	4.99	0.01	12.00	17.00	3.01	13.99
26	2217.05.191.91- अमृत 2.0 (सीएसएस) (उप- शीर्ष) में क्षमता निर्माण और ए एंड ओई यू डी विभाग	0.00	0.01	2.49	2.50	0.00	2.50
27	2216.05.053.97- अनुरक्षण और मरम्मत (उप-शीर्ष)	80.35	0.01	9.61	89.97	66.74	23.23
28	3054.04.105.97-जिला सड़कें	325.00	0.03	48.64	373.67	322.16	51.51
पूँजीगत (दत्तमत)							
29	6215.01.191.85- शहरी गांवों में जल आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	6.00	0.01	3.99	10.00	5.87	4.13
30	7615.00.200.75- दिल्ली जल बोर्ड को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	800.00	1,048.15	451.85	2,300.00	1,704.26	595.74
31	5054.04.101.89- गोपालपुर लाल बत्ती पर और पर आधे अंडरपास का निर्माण - जगतपुर पुल	0.00	0.01	3.99	4.00	0.00	4.00
	कुल	1,376.34	1,048.26	556.54	2,981.14	2,200.73	780.41

परिशिष्ट - 2.4

(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत

(₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम और संख्या	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत	अभ्यर्पण	बचत (अभ्यर्पण को छोड़कर)
राजस्व (दत्तमत)						
1	03- न्याय प्रशासन	2,386.00	1,884.97	501.03	275.22	225.81
2	06- शिक्षा	16,134.26	14,773.06	1,361.20	469.33	891.87
3	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,786.41	6,772.29	1,014.12	354.52	659.60
4	08- समाज कल्याण	11,582.77	7,722.94	3,859.83	2,901.81	958.02
5	10- विकास	4,538.72	3,811.04	727.68	296.14	431.54
6	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	14,128.42	10,364.82	3,763.60	2,859.90	903.70
कुल		56,556.58	45,329.12	11,227.46	7,156.92	4,070.54
पूंजीगत (दत्तमत)						
7	08- समाज कल्याण	2,767.77	1,055.23	1,712.54	555.31	1,157.23
8	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	8,462.32	4,810.81	3,651.51	2,130.46	1,521.05
कुल		11,230.09	5,866.04	5,364.05	2,685.77	2,678.28
कुल योग		67,786.67	51,195.16	16,591.51	9,842.69	6,748.82

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.5

(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निरंतर बचत
(₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं./विभाग का नाम	बचत				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व (दत्तमत)						
1	02- सामान्य प्रशासन	471.81	437.66	417.19	912.64	414.09
2	03- न्याय प्रशासन	163.73	396.27	223.92	384.45	501.03
3	06- शिक्षा	3,526.60	2,770.99	1,120.12	1,300.01	1,361.20
4	08- समाज कल्याण	1,026.88	968.70	1,436.46	1,037.86	3,859.83
5	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	560.67	1,095.4	1,885.89	1,959.11	3,763.60
पूंजीगत (दत्तमत)						
6	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	166.86	156.37	2,073.70	126.26	288.92
7	10- विकास	828.03	574.62	887.02	269.94	687.23
8	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	2,253.05	887.76	3,455.59	5,146.43	3,651.51

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.6

(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट और बचत के उपयोग की अनुदान-वार प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या और नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग की प्रतिशतता	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
1	14- आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग	0.00	0.00	0.00	0	50 तक
2	01- विधान सभा	80.52	26.06	54.46	32	
3	02- सामान्य प्रशासन	650.99	222.67	428.32	34	
4	12- ऋण	1.30	0.54	0.76	41	
	कुल	732.81	249.27	483.54		
5	08- समाज कल्याण	14,355.38	8,780.94	5,574.44	61	51 से 75
6	09- उद्योग	376.27	250.92	125.35	67	
7	04- वित्त	417.91	278.72	139.19	67	
8	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	22,622.05	15,206.87	7,415.18	67	
9	10- विकास	5,578.20	4,161.47	1,416.73	75	
	कुल	43,349.81	28,678.92	14,670.89		
10	03- न्याय प्रशासन	3,300.64	2,587.07	713.57	78	76 से 90
11	13- पेंशन रा.रा.क्षे.दि.	5.00	4.10	0.90	82	
12	05- गृह	1,305.15	1,089.96	215.19	84	
13	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8,197.11	6,885.34	1,311.77	84	
	कुल	12,807.90	10,566.47	2,241.43		
14	06- शिक्षा	16,327.87	14,836.13	1,491.74	91	91 से 100
15	15- लोक ऋण	7,580.42	7,580.40	0.02	100	
	कुल	23,908.29	22,416.53	1,491.76		
	कुल योग	80,798.81	61,911.19	18,887.62		

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.7
(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)
बचत जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	राशि जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया
राजस्व (दत्तमत)								
1	02- सामान्य प्रशासन	609.36	0.03	609.39	195.30	414.09	363.99	50.10
2	03- न्याय प्रशासन	2,280.41	105.59	2,386.00	1,884.97	501.03	275.22	225.81
3	04- वित्त	331.90	0.09	331.99	243.07	88.92	49.09	39.83
4	05- गृह	1,100.42	54.35	1,154.77	1,035.47	119.30	48.95	70.35
5	06- शिक्षा	16,056.41	77.85	16,134.25	14,773.06	1,361.19	469.33	891.86
6	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,630.88	155.53	7,786.41	6,772.29	1,014.12	354.52	659.60
7	08- समाज कल्याण	11,186.08	396.69	11,582.77	7,722.94	3,859.83	2,901.81	958.02
8	09- उद्योग	360.70	0.03	360.73	249.65	111.08	29.36	81.72
9	10- विकास	3,916.87	621.85	4,538.72	3,811.04	727.68	296.14	431.54
10	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	14,128.10	0.32	14,128.42	10,364.82	3,763.60	2,859.90	903.70
कुल		57,601.13	1,412.33	59,013.45	47,052.61	11,960.84	7,648.31	4,312.53
राजस्व (प्रभारित)								
11	03- न्याय प्रशासन	599.42	17.42	616.84	580.60	36.24	0.13	36.11
कुल		599.42	17.42	616.84	580.60	36.24	0.13	36.11

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	राशि जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया
पूँजीगत (दत्तमत)								
12	03- न्याय प्रशासन	271.50	0.25	271.75	113.15	158.60	141.90	16.70
13	04- वित्त	78.25	7.56	85.81	35.63	50.18	0.03	50.15
14	05- गृह	140.64	8.77	149.41	53.97	95.44	49.26	46.18
15	06- शिक्षा	101.47	72.08	173.55	50.31	123.24	29.57	93.67
16	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	257.29	143.81	401.10	112.17	288.93	0.04	288.89
17	08- समाज कल्याण	792.96	1,974.81	2,767.77	1,055.23	1,712.54	555.31	1,157.23
18	10- विकास	1,033.19	0.28	1,033.47	346.23	687.24	636.98	50.26
19	11- शहरी विकास और लोक निर्माण	7,413.66	1,048.66	8,462.32	4,810.81	3,651.51	2,130.46	1,521.05
कुल		10,088.96	3,256.22	13,345.18	6,577.50	6,767.68	3,543.55	3,224.13
पूँजीगत (प्रभारित)								
20	03- न्याय प्रशासन	24.21	1.84	26.05	8.35	17.70	0.02	17.68
कुल		24.21	1.84	26.05	8.35	17.70	0.02	17.68
कुल योग		68,313.72	4,687.81	73,001.52	54,219.06	18,782.46	11,192.01	7,590.45

परिशिष्ट-2.8

(पैराग्राफ 2.5.4 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' के अंतर्गत विभिन्न शीर्षों में निरंतर बचत (₹ 10 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2022-23		2023-24		2024-25	
	बचत	प्रतिशत	बचत	प्रतिशत	बचत	प्रतिशत
2215.01.191.98-अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	57.56	17.41	154.75	50.48	79.31	44.56
2215.01.191.64-दिल्ली जल बोर्ड को आईटी/क्षमता निर्माण के लिए सहायता अनुदान	15.25	50.82	11.21	62.28	11.33	75.53
2215.01.800.93-दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी	133.59	22.27	136.86	22.81	14.67	2.93
2217.05.191.94- अमृत 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	241.69	53.24	438.24	100.00	73.75	50.86
4217.60.050.95- अनधिकृत कॉलोनियों का विकास	124.18	10.37	208.23	26.03	59.31	8.47
4217.60.051.97- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अवसंरचना जैसे सड़कें, गलियां, मोहल्ले, स्ट्रीट लाइट आदि का सुदृढीकरण और विस्तार	58.31	25.92	56.86	32.31	13.50	5.62
7615.00.200.81- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	94.95	47.10	100.00	50.00	50.00	50.00

परिशिष्ट-2.9
(पैराग्राफ 2.5.5 में संदर्भित)
नीतिगत पहल जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
राजस्व (दत्तमत)						
1	03- न्याय प्रशासन	2014.00.103.98	सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना	2.60	2.60	शून्य
2	05- गृह	2055.00.116.96	डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला- निर्भया कोष (केंद्र प्रायोजित योजना)	0.01	2.00	शून्य
3	06- शिक्षा	2202.02.101.97	दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान	7.00	3.00	शून्य
4	06- शिक्षा	2202.02.109.53	विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय को सहायता अनुदान	42.00	40.02	शून्य
5	06- शिक्षा	2202.80.107.82	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	22.54	20.00	शून्य
6	06- शिक्षा	2204.00.102.66	विद्यालयों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा	2.00	2.00	शून्य
7	06- शिक्षा	2204.00.103.77	मिशन उत्कृष्टता - खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता	7.00	2.00	शून्य
8	06- शिक्षा	2203.00.112.51	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	41.00	39.00	शून्य
9	06- शिक्षा	2203.00.112.44	विश्वविद्यालय/कॉलेजों में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना	1.11	4.51	शून्य
10	06- शिक्षा	2230.03.101.91	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना)	9.00	9.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
11	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.68	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएमपी)(सीएसएस) उत्कृष्टता केंद्र के लिए राष्ट्रीय तृतीयक देखभाल योजना के अंतर्गत आईएचबीएस को सहायता अनुदान	0.02	10.00	शून्य
12	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.06.113.97	जागरूकता अभियान- वायुवाहित रोग और अन्य स्वास्थ्य मुद्दे	5.00	2.00	शून्य
13	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2211.00.102.75	अस्पताल में प्रसवोत्तर इकाइयों पर व्यय के लिए अनुदान	5.00	2.09	शून्य
14	08- समाज कल्याण	2235.02.200.72	दवा की मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) (सीएसएस) (केंद्रीय हिस्सा)	0.03	3.17	शून्य
15	08- समाज कल्याण	2235.02.103.14	दिल्ली राज्य मिशन (सूर्योदय)	3.01	3.00	शून्य
16	08- समाज कल्याण	2235.02.103.06	महिला समृद्धि योजना (उप-शीर्ष)	0.01	50.00	शून्य
17	08- समाज कल्याण	3055.00.190.90	दिल्ली विद्युत वाहन नीति के कार्यान्वयन के लिए डीटीआईडीसी को सहायता अनुदान	30.01	20.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
18	09- उद्योग	2851.00.001.96	व्यापार करने में आसानी	4.00	2.28	शून्य
19	09- उद्योग	3456.00.102.85	खाद्यान्न के अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन (राज्य का हिस्सा)	36.00	40.00	शून्य
20	09- उद्योग	3456.00.103.93	अत्यावश्यक माल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप का प्रावधान।	5.00	5.00	शून्य
21	10- विकास	3435.04.103.86	स्मोक टावर्स के लिए डीपीसीसी को सहायता अनुदान	3.00	3.00	शून्य
कुल				225.40	264.84	शून्य
राजस्व (प्रभारित)						
22	08- समाज कल्याण	2235.02.001.92	सुरक्षा-आंतरिक और बाह्य और स्वच्छता संवर्धन (एसडब्ल्यूडी)	2.50	2.00	शून्य
कुल				2.50	2.00	शून्य
पूंजीगत (दत्तमत)						
23	06- शिक्षा	4202.01.202.82	सरकारी स्कूलों में इयूल डेस्क और अन्य फर्नीचर की खरीद	0.01	10.00	शून्य
24	06- शिक्षा	4250.00.201.76	आईटीआईएस का नवीनीकरण और उन्नयन (उप-शीर्ष)	10.00	4.00	शून्य
25	06- शिक्षा	4202.01.203.91	खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	5.01	10.00	शून्य
26	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.103.96	पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना	143.68	150.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. और विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
			मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)(सीएसएस)			
27	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.103.95	पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)(राज्य का हिस्सा)	0.01	100.00	शून्य
28	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.110.98	अस्पताल और औषधालय भवन	100.51	10.21	शून्य
29	08- समाज कल्याण	7055.00.190.89	जीआईसीए ऋण की चुकौती के लिए डीएमअआरसी को अधीनस्थ ऋण (उप-शीर्ष)	0.01	951.00	शून्य
30	10- विकास	4711.03.052.98	अनुरक्षण	0.01	2.00	शून्य
31	10- विकास	4059.01.051.81	उप-आयुक्त कार्यालय	0.02	2.80	शून्य
32	10- विकास	4070.00.001.41	कमान नियंत्रण केंद्र (सीसीसी) एचआर और प्रशिक्षण सहित डीडीएमए को मज़बूत करना (उप-शीर्ष)	0.02	11.00	शून्य
कुल				259.23	1,251.01	शून्य
कुल योग				487.22	1,517.85	शून्य

परिशिष्ट - 2.10

(पैराग्राफ 2.5.5 में संदर्भित)

नीतिगत पहल जहाँ परिशोधित परिव्यय में संपूर्ण बजट राशि का प्रत्याहरण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
राजस्व (दत्तमत)					
1	02- सामान्य प्रशासन	2055.00.119.94	दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना-4077 के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस को सहायता अनुदान (निर्भया कोष) (सीएसएस)	241.95	शून्य
2	02- सामान्य प्रशासन	2220.60.101.96	मीडिया नेटवर्क के साथ सहयोग	18.70	शून्य
3	02- सामान्य प्रशासन	2220.60.101.94	आउटरीच कार्यक्रम के लिए शासन का दिल्ली मॉडल	12.00	शून्य
4	02- सामान्य प्रशासन	2220.60.101.91	महिला सुरक्षा पर मीडिया अभियान	5.10	शून्य
5	06- शिक्षा	2202.02.109.56	देश भक्ति पाठक्रम	2.00	शून्य
6	06- शिक्षा	2202.02.109.48	आरपीवीवीएस और एसओएसईएस में विदेशी भाषाओं का परिचय	2.00	शून्य
7	06- शिक्षा	2202.80.001.86	अन्य विविध योजना	4.23	शून्य
8	06- शिक्षा	2203.00.112.34	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, विकास, डिजिटल स्वास्थ्य, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि में अनुसंधान के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) को सहायता अनुदान (उप-शीर्ष)	2.00	शून्य
9	06- शिक्षा	2230.03.101.92	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) (केंद्र प्रायोजित योजना)	2.33	शून्य
10	06- शिक्षा	2205.00.103.95	रा.रा.क्षे.दि.स. के स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास कार्यों के लिए न्यास/गैर-सरकारी संगठन/प्रतिष्ठान/संस्थाओं को सहायता अनुदान (उप-शीर्ष)	10.00	शून्य
11	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.71	स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यूएस) और फ्रंट लाइन कर्मियों (एफसीडब्ल्यूएस) के लिए कोविड-19 टीकाकरण की प्रचालन लगत के लिए सहायता अनुदान	1.01	शून्य
12	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2211.00.101.78	उप केंद्र (केंद्र प्रायोजित योजना)	7.15	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
राजस्व (दत्तमत)					
13	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2211.00.102.80	शहरी परिवार कल्याण केंद्र (केंद्र प्रायोजित योजना)	90.11	शून्य
14	07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2211.00.102.78	शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का जीर्णोद्धार (केंद्र प्रायोजित योजना)	26.27	शून्य
15	08- समाज कल्याण	2235.02.102.36	प्रोत्साहन आंगनवाड़ी उन्नयन योजना	25.00	शून्य
16	08- समाज कल्याण	2235.02.103.10	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी को सहायता अनुदान (उप-शीर्ष)	7.00	शून्य
17	08- समाज कल्याण	2235.02.103.09	मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना (उप-शीर्ष)	2,000.00	शून्य
18	08- समाज कल्याण	2235.02.200.76	दवा की मांग कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) (केंद्र प्रायोजित योजना)	5.16	शून्य
19	08- समाज कल्याण	2236.02.101.71	अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आहार	10.00	शून्य
20	08- समाज कल्याण	2225.01.277.42	मिडिल कक्षा तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री कनिष्ठ छात्रवृत्ति योजना	5.00	शून्य
21	08- समाज कल्याण	2041.00.800.72	सब्सिडी (ऑटो रिकशा में जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क और सिम कार्ड लागत)	5.00	शून्य
22	08- समाज कल्याण	2041.00.800.71	सब्सिडी (हल्के मोटर वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क और सिम कार्ड लागत)	5.00	शून्य
23	08- समाज कल्याण	3055.00.001.84	क्लस्टर बसों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) (उप-शीर्ष)	6.99	शून्य
24	08- समाज कल्याण	3055.00.190.91	क्लस्टर बसों में मार्शल की तैनाती	40.00	शून्य
25	08- समाज कल्याण	3055.00.190.88	579 ई बसों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी (उप-शीर्ष)	210.00	शून्य
26	08- समाज कल्याण	3452.01.190.98	दिल्ली होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान	2.62	शून्य
27	09- उद्योग	2852.80.104.94	गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए डीएसआईआईडीडीसी को सहायता अनुदान	5.00	शून्य
28	09- उद्योग	3456.00.001.94	राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान	5.00	शून्य
29	10- विकास	2053.00.093.83	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा	80.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
राजस्व (दत्तमत)					
30	10- विकास	3435.04.103.83	ई-अपशिष्ट पारिस्थितिक पार्क के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	15.24	शून्य
कुल				2,851.86	
पूंजीगत (दत्तमत)					
31	03- न्याय प्रशासन	4059.60.052.97	जिला न्यायालयों में हाइब्रिड सुनवाई की स्थापना (उप-शीर्ष)	100.00	शून्य
32	06- शिक्षा	4250.00.201.84	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) (केंद्र प्रायोजित योजना)	5.47	शून्य
33	09- उद्योग	4851.00.102.71	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई सीडीपी) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण (राज्य का हिस्सा) (उप-शीर्ष)	2.00	शून्य
34	10- विकास	4403.00.101.92	पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	2.00	शून्य
कुल				109.47	शून्य
कुल योग				2,961.33	शून्य

स्रोत: वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.11
(पैराग्राफ 2.5.5 में संदर्भित)

‘अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण’ की बिना व्यय वाली नीतिगत पहल

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का शीर्ष और नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
राजस्व (दत्तमत) 2022-23				
1	2217.05.800.85- बाज़ार विकास निधि	1.01	2.00	शून्य
2	2217.80.191.04.95- शहरी विकास विभाग क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (सीएसएस)	2.70	5.00	शून्य
3	3475.00.108.94- दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	23.35	5.32	शून्य
4	2810.00.105.98- सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित असंवेदनशील योजना	5.01	8.60	शून्य
पूँजीगत (दत्तमत)				
5	4202.01.203.87- दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय का निर्माण	50.00	15.00	शून्य
6	4801.05.800.87- एचटी/एलटी ट्रांसमिशन विद्युत लाइनों का स्थानांतरण	8.00	8.00	शून्य
7	4810.00.101.99- नवीकरणीय ऊर्जा	10.00	10.00	शून्य
राजस्व (दत्तमत) 2023-24				
1	2217.05.001.98- खुदरा बाजारों का नवीकरण और संवर्धन	50.00	5.00	शून्य
2	2217.05.191.94- अमृत 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	1,177.00	438.24	शून्य
3.	2217.80.191.04.95- शहरी विकास विभाग क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (सीएसएस)	5.00	2.50	शून्य
4.	2217.80.191.04.91- शहरी विकास विभाग जन जागरूकता और आईईसी गतिविधियां (सीएसएस)	5.00	2.50	शून्य
5.	3475.00.108.94- दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	5.37	8.06	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का शीर्ष और नाम	बजट प्रावधान	परिशोधित प्रावधान	व्यय
पूँजीगत (दत्तमत)				
6	6215.01.191.69- चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य का हिस्सा)	30.00	20.00	शून्य
7.	6215.01.191.70- चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण - जेआईसीए (केंद्रीय हिस्सा)	200.00	200.00	शून्य
8	4059.80.051.76- राष्ट्रीय ध्वज के लिए खंभे की स्थापना	1.00	4.00	शून्य
9	4810.00.101.99- नवीकरणीय ऊर्जा	10.00	10.00	शून्य
राजस्व (दत्तमत) 2024-25				
1	2215.01.191.66- दिल्ली जल बोर्ड को जल गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सहायता अनुदान	0.00	6.00	शून्य
2	2217.05.191.91- शहरी विकास विभाग अमृत 2.0 में क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (सीएसएस) (उप-शीर्ष)	0.00	2.50	शून्य
3	3475.00.108.94- दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना)	5.09	2.85	शून्य
4	2810.00.105.99- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में सहायता	2.00	2.00	शून्य
पूँजीगत (दत्तमत)				
5	5054.04.101.89- गोपालपुर लाल बत्ती - जगतपुर पुल पर ओआरआर पर आधे अंडरपास का निर्माण	0.00	4.00	शून्य
6	4810.00.101.99- नवीकरणीय ऊर्जा	10.00	2.00	शून्य

स्रोत: संबंधित वित्त वर्षों के विनियोग लेखे

परिशिष्ट-2.12

(पैराग्राफ 2.5.5 में संदर्भित)

नीतिगत पहल जहाँ 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' के परिशोधित परिव्यय में संपूर्ण बजट राशि का प्रत्याहरण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष और योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
राजस्व (दत्तमत) 2022-23			
1.	2215.02.191.79- मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के लिए सब्सिडी	23.00	0.00
पूँजीगत (दत्तमत) 2022-23			
2	4235.02.104.93- सेवा सदन कॉम्प्लेक्स, लंबोर में भवन का निर्माण	40.00	0.00
3	5054.04.101.70- खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द रोड में रेलवे क्रॉसिंग सं. एलसी-12 पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण	25.00	0.00
4	5054.04.337.90- वज़ीराबाद से डीएनडी फ्लाईओवर तक रिंग रोड के साथ नया बाईपास रोड	5.00	0.00
5	5054.04.337.84- रोहतक रोड/एनएच -10 के कॉरिडोर के लिए एकीकृत पारगमन कॉरिडोर विकास और स्ट्रीट नेटवर्क/लाइट कनेक्टिविटी (ज्वाला हेरी मार्केट लाल बत्ती से ज्वालापुरी लाल बत्ती)	50.00	0.00
6	5054.04.337.83- मुकरबा चौक में भीड़भाड़ कम करने के लिए व्यापक योजना	5.00	0.00
7	5054.04.337.80- महरौली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान)	120.00	0.00
8	4801.05.800.86- जगमगती दिल्ली कार्यक्रम के अंतर्गत 11 किलो वाट नेटवर्क को अनावृत संवाहक से विद्युत्-रोधी संवाहक में बदलना	22.18	0.00
राजस्व (दत्तमत) 2023-24			
1.	2215.01.101.99- नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी	2.50	0.00
2.	2217.05.800.85- बाज़ार विकास निधि	2.00	0.00
पूँजीगत (दत्तमत) 2023-24			
3.	4217.60.051.95- मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास	300.00	0.00
4.	7615.00.200.73- स्थानीय निकायों को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	850.00	0.00
5	4202.01.202.89- डिजिटल कक्षाओं का निर्माण	20.00	0.00
6	4202.01.203.88- अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) परिसर-रोहिणी का निर्माण	50.00	0.00
7	5054.04.337.84- रोहतक रोड/एनएच-10 कॉरिडोर के लिए एकीकृत पारगमन कॉरिडोर विकास और स्ट्रीट नेटवर्क/लाइट कनेक्टिविटी (ज्वाला हेरी मार्केट लाल बत्ती से ज्वालापुरी लाल बत्ती)	5.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष और योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	परिशोधित परिव्यय
8	5054.04.337.80- महरौली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान)	150.00	0.00
9	4801.05.800.91- भूमि की खरीद	30.00	0.00
10	4801.05.800.86- जगमगती दिल्ली कार्यक्रम के अंतर्गत 11 किलो वाट नेटवर्क को अनावृत संवाहक से विद्युत्-रोधी संवाहक में बदलना	10.00	0.00
11	4070.00.101.99- राज्य चुनाव आयोग	25.15	0.00
राजस्व (दत्तमत) 2024-25			
1	2217.05.191.92- दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को सहायता अनुदान (उप-शीर्ष)	100.01	0.00
पूंजीगत (दत्तमत) 2024-25			
2	6215.02.191.86- जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	24.00	0.00
3	5054.04.101.91- आधे फ्लाईओवर का निर्माण	2.00	0.00
4	5054.04.101.76- मंगल पांडे मार्ग के करावल नगर, घोंडा और बृजपुरी जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण जिसमें एलिवेटेड कॉरिडोर, फुटपाथ, सड़क के संकेत सहित सड़क कार्य, बिजली के काम और ड्रेनेज शामिल हैं	30.00	0.00
5	4801.05.800.91- भूमि की खरीद	30.01	0.00

स्रोत: संबंधित वित्त वर्षों के विनियोग लेखे

परिशिष्ट - 2.13

(पैराग्राफ 2.5.6 में संदर्भित)

अंतिम तिमाही और अंतिम महीने के दौरान शीर्ष-वार व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट समूह	कुल बजट	कुल व्यय	2024-25 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2025 में किया गया व्यय (अनुपूरक सहित)	2024-25 की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	मार्च 2025 के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता
03- न्याय प्रशासन								
1	2015.00.106.99.00.18	दत्तमत	35.00	32.60	32.60	24.55	100.00	75.31
कुल				32.60	32.60	24.55		
05- गृह								
2	2056.00.001.99.00.28	दत्तमत	155.00	153.34	107.83	107.66	70.33	70.21
3	4070.00.001.76.00.52	दत्तमत	53.00	26.38	19.75	19.66	74.88	74.53
कुल				179.72	127.58	127.32		
06- शिक्षा								
4	2202.01.103.94.00.35	दत्तमत	90.00	90.00	58.68	58.68	65.20	65.20
5	2202.01.113.95.00.02	दत्तमत	36.00	36.00	29.75	29.75	82.64	82.64
6	2202.01.113.97.00.31	दत्तमत	262.00	262.00	203.58	203.58	77.70	77.70
7	2202.01.789.81.00.31	दत्तमत	27.00	27.00	20.58	20.58	76.23	76.23
8	2202.02.113.97.00.31	दत्तमत	46.50	43.05	36.64	36.64	85.12	85.12
9	2202.02.113.98.00.31	दत्तमत	31.00	15.18	10.90	10.90	71.86	71.86
10	2202.03.102.88.00.36	दत्तमत	40.00	40.00	24.50	24.50	61.25	61.25
11	2203.00.102.95.00.31	दत्तमत	25.00	25.00	12.50	12.50	50.00	50.00
12	2203.00.112.50.00.36	दत्तमत	22.00	19.40	11.00	11.00	56.69	56.69
कुल				557.63	408.13	408.13		
07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य								
13	2210.01.110.33.00.31	दत्तमत	33.00	29.12	16.50	16.50	56.66	56.66
14	2210.06.800.82.00.31	दत्तमत	15.00	15.00	11.25	11.25	75.00	75.00
कुल				44.12	27.75	27.75		
10- विकास								
15	2404.00.800.96.00.31	दत्तमत	24.00	13.57	10.17	10.17	75.00	75.00
कुल				13.57	10.17	10.17		
कुल योग				827.64	606.23	597.92		

परिशिष्ट - 2.14
(पैराग्राफ 2.5.6 में संदर्भित)
उप-शीर्ष जहाँ मार्च 2025 में संपूर्ण व्यय किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट के प्रकार	मार्च के दौरान वास्तविक व्यय
1	06	शिक्षा	2202.01.113.96.00.31	समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षा (टॉप अप)	दत्तमत	64.15
2	06	शिक्षा	2203.00.102.96.00.36	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	दत्तमत	28.99
3	08	समाज कल्याण	2235.02.103.22.00.49	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) एनएसएपी (केंद्र प्रायोजित योजना)	दत्तमत	19.50
4	08	समाज कल्याण	3055.00.190.99.00.33	रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	दत्तमत	16.37
5	08	समाज कल्याण	5055.00.800.87.00.73	आरआरटीएस कॉरिडोर	दत्तमत	50.00
6	09	उद्योग	3456.00.102.86.00.49	एनएफएसए (सीएसएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता	दत्तमत	37.00
कुल						216.01

परिशिष्ट - 2.15
(पैराग्राफ 2.5.6 में संदर्भित)
‘अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण’ में व्यय की अधिकता

(राशि ₹ में)								
क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट समूह	कुल बजट	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता	मार्च में अनुपूरक सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय की प्रतिशतता
वित्त वर्ष 2022-23								
1	2215.01.191.98.00.35	दत्तमत	1,35,57,00,000	85,57,30,000	60,57,30,000	70.79	60,57,30,000	70.79
2	2215.02.106.99.00.35	दत्तमत	22,84,00,000	20,33,96,000	19,08,96,000	93.85	19,08,96,000	93.85
3	2217.05.191.94.00.35	दत्तमत	4,44,00,00,000	2,11,40,59,000	2,11,40,59,000	100	2,11,40,59,000	100
4	3604.00.200.80.93.31	दत्तमत	7,02,65,39,000	7,02,65,39,000	7,02,65,39,000	100	5,08,72,64,000	72.4
5	5054.04.101.77.00.53	दत्तमत	35,00,00,000	34,52,62,520	21,94,90,999	63.57	19,61,20,194	56.8
6	5054.04.101.79.00.53	दत्तमत	90,00,00,000	87,32,37,041	63,83,67,488	73.1	60,83,12,234	69.66
7	5054.04.337.86.00.53	दत्तमत	35,00,00,000	34,75,07,595	21,16,18,234	60.9	20,09,74,913	57.83
8	6215.01.190.98.00.55	दत्तमत	40,00,00,000	40,00,00,000	31,25,00,000	78.13	31,25,00,000	78.13
9	6215.01.191.75.00.55	दत्तमत	1,28,23,00,000	1,28,22,73,000	90,72,73,000	70.76	90,72,73,000	70.76
10	6215.01.191.77.00.55	दत्तमत	84,14,00,000	84,13,74,000	59,13,74,000	70.29	44,13,74,000	52.46
11	6215.02.191.85.00.55	दत्तमत	1,04,18,00,000	1,04,17,99,000	84,17,99,000	80.8	84,17,99,000	80.8
12	6215.02.191.95.00.55	दत्तमत	18,49,00,000	18,49,06,000	12,24,06,000	66.2	12,24,06,000	66.2
वित्त वर्ष 2023-24								
13	3054.04.105.97.96.27	दत्तमत	3,75,00,00,000	3,71,48,10,292	3,69,72,57,787	99.53	2,27,91,02,286	61.35
14	4059.01.051.96.00.72	दत्तमत	40,00,00,000	39,81,02,566	21,00,70,530	52.77	20,23,94,315	50.84
15	5054.04.337.94.00.73	दत्तमत	2,53,00,00,000	2,51,17,53,400	1,40,01,05,879	55.74	1,35,20,00,203	53.83

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	बजट समूह	कुल बजट	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता	मार्च में अनुपूरक सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय की प्रतिशतता
16	5054.04.337.95.00.73	दत्तमत	2,74,00,00,000	2,71,00,96,593	1,58,71,35,407	58.56	1,55,00,95,770	57.20
17	6215.01.190.98.00.55	दत्तमत	19,00,00,000	13,41,00,000	10,91,00,000	81.36	10,91,00,000	81.36
वित्त वर्ष 2024-25								
18	2217.80.191.03.00.35	दत्तमत	15,54,00,000	15,53,50,000	15,53,50,000	100.00	15,53,50,000	100.00

परिशिष्ट 3.1
(पैराग्राफ 3.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2025 तक देय, प्राप्त, समाशोधित और बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	2024-25 के प्रारंभ में बकाया उ.प्र.		वर्ष 2024-25 के दौरान देय उ.प्र. का परिवर्धन		2024-25 के दौरान जारी उ.प्र.		2024-25 के अंत में बकाया उ.प्र.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	शहरी विकास विभाग	0	0	198	7,960.27	97	6,318.35	101	1,641.92
2.	राजस्व विभाग	0	0	28	2,549.64	22	2,532.79	6	16.85
3.	पर्यटन विभाग	0	0	10	36.79	10	36.31	0	0.48
4.	शिक्षा निदेशालय	0	219.60	8	2,551.85	8	2,524.51	0	246.94
5.	उच्चतर शिक्षा निदेशालय	0	0	32	495.54	32	495.54	0	0
6.	दिल्ली विधान सभा	0	0	1	0.12	1	0.12	0	0
7.	कला, संस्कृति और भाषा विभाग	2	0	31	65.40	31	64.90	2	0.50
8.	पर्यावरण विभाग	0	0	4	28.02	4	28.02	0	0
9.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0	0	2	3.63	2	3.43	0	0.20
10.	विधि विभाग	0	0.85	8	98.52	8	98.00	0	1.37
11.	विद्युत विभाग	0	3.59	1	20.81	1	21.33	0	3.07
12.	सामान्य प्रशासन विभाग	0	0	1	42.50	1	31.09	0	11.41
13.	परिवहन विभाग	0	197.99	12	2,930.53	10	2,942.77	2	185.76
14.	विकास विभाग	0	0	8	5.79	8	5.79	0	0
15.	परिवार कल्याण निदेशालय	0	0	3	97.09	3	97.09	0	0
16.	श्रम विभाग	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0
17.	समाज कल्याण विभाग	1,167	37.58	58	1.61	93	2.44	1,132	36.75
18.	प्रशिक्षण और	0	0	9	276.28	9	276.28	0	0

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	2024-25 के प्रारंभ में बकाया उ.प्र.		वर्ष 2024-25 के दौरान देय उ.प्र. का परिवर्धन		2024-25 के दौरान जारी उ.प्र.		2024-25 के अंत में बकाया उ.प्र.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	तकनीकी शिक्षा निदेशालय								
19.	आयुष निदेशालय	0	0	11	12.82	11	12.82	0	0
20.	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	0	0	8	53.53	8	41.47	0	12.06
21.	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	9	741.12	116	1,534.45	116	1,783.47	9	492.10
22.	उद्योग विभाग	0	0.35	7	7.25	7	6.79	0	0.81
कुल		1,178	1,201.13	556	18,772.44	482	17,323.36	1,252	2,650.22

परिशिष्ट-3.2

(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)

डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (महा पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक*** के अनुसार समायोजित किया गया	समायोजन में विलंब** (दिनों में)
1	811 दिनांक 25.04.2024	20,000	डी.सी.बि.-7202 दिनांक 08.01.2025	227
2	3213 दिनांक 02.08.2024	901	डी.सी.बि.-8477 दिनांक 01.03.2025	180
3	4859 दिनांक 01.10.2024	10,000	डी.सी.बि.-6936 दिनांक 20.12.2024	50
4	5460 दिनांक 24.10.2024	50,000	डी.सी.बि.-8075 दिनांक 07.02.2025	76
5	6272 दिनांक 27.11.2024	20,000	डी.सी.बि.-8661 दिनांक 11.03.2025	74
6	6973 दिनांक 07.02.2024	78,20,146	डी.सी.बि.-3865 दिनांक 30.08.2025	540
7	7003 दिनांक 24.12.2024	34,91,883	डी.सी.बि.-3865 दिनांक 30.08.2025	219
8	7363 दिनांक 13.01.2025	15,000	डी.सी.बि.-1394 दिनांक 16.05.2025	93
9	7589 दिनांक 18.01.2025	38,997	डी.सी.बि.-442 दिनांक 08.04.2025	50
10	7590 दिनांक 18.01.2025	33,028	डी.सी.बि.-3028 दिनांक 01.08.2025	165
11	7588 दिनांक 18.01.2025	15,000	डी.सी.बि.-8279 दिनांक 20.02.2025	03
12	7816 दिनांक 24.01.2025	50,000	डी.सी.बि.- 1349 दिनांक 16.05.2025	82
13	7950 दिनांक 01.02.2025	50,000	डी.सी.बि.- 1385 दिनांक 16.05.2025	74
14	7951 दिनांक 01.02.2025	50,000	डी.सी.बि.- 1350 दिनांक 16.05.2025	74
15	7952 दिनांक 01.02.2025	75,000	डी.सी.बि.- 444 दिनांक 07.04.2025	35
16	7953 दिनांक 01.02.2025	50,000	डी.सी.बि.- 3296 दिनांक 13.08.2025	163
17	7954 दिनांक 01.02.2025	30,000	डी.सी.बि.- 440 दिनांक 07.04.2025	35
18	8252 दिनांक 17.02.2025	50,000	डी.सी.बि.- 1305 दिनांक 16.05.2025	58
19	8433 दिनांक 21.02.2025	25,000	डी.सी.बि.- 3149 दिनांक 06.08.2025	136
20	8453 दिनांक 25.02.2025	12,000	डी.सी.बि.- 1355 दिनांक 16.05.2025	50
21	8472 दिनांक 25.02.2025	25,000	डी.सी.बि.- 3494 दिनांक 22.08.2025	148
कुल		1,19,31,955		

** आर एंड पी नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।

*** लेखापरीक्षिती के उत्तर में हस्तलिखित अंकन के बजाय, बिल के अंतिम दिनांक के अनुसार दिनांक लिए गए हैं।

परिशिष्ट 3.3
(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार समायोजित किया गया	समायोजन में विलंब** (दिनों में)
1	349 दिनांक 30.06.2022	2,86,950	डी.सी.बि.-411 दिनांक 17.06.2025	1,053
2	761 दिनांक 08.01.2009	4,500	डी.सी.बि.-522 दिनांक 05.07.2025	5,992
3	579 दिनांक 22.09.2007	3,180	डी.सी.बि.-556 दिनांक 11.07.2025	6,472
4	967 दिनांक 12.01.2008	27,733	डी.सी.बि.-551 दिनांक 10.07.2025	6,359
5	1370 दिनांक 03.11.2017	98,99,608	डी.सी.बि.-525 दिनांक 09.07.2025	2,775
6	975 दिनांक 24.12.2019	2,54,033	डी.सी.बि.-541 दिनांक 09.07.2025	1,994
7	274 दिनांक 16.07.2014	2,03,000	डी.सी.बि.-524 दिनांक 05.07.2025	3,977
8	393 दिनांक 04.07.2007	4,000	डी.सी.बि.-523 दिनांक 05.07.2025	6,546
9	378 दिनांक 31.08.2004	2,13,812	डी.सी.बि.-521 दिनांक 05.07.2025	7,583
10	779 दिनांक 27.10.2022	4,78,420	डी.सी.बि.-410 दिनांक 17.07.2025	963
12	580 दिनांक 22.07.2007	81,875	डी.सी.बि.-557 दिनांक 23.07.2025	6,546
13	840 दिनांक 04.12.2007	2,23,934	डी.सी.बि.-631 दिनांक 25.07.2025	6,413
14	205 दिनांक 25.05.2009	67,33,000	डी.सी.बि.-635 दिनांक 29.07.2025	5,879
15	124 दिनांक 25.05.2009	79,50,000	डी.सी.बि.-636 दिनांक 29.07.2025	5,879
16	206 दिनांक 07.01.2016	38,00,000	डी.सी.बि.-637 दिनांक 29.07.2025	3,461
17	179 दिनांक 10.05.2008	10,12,000	डी.सी.बि.-638 दिनांक 29.07.2025	6,260
18	1523 दिनांक 07.02.2017	16,20,093	डी.सी.बि.-640 दिनांक 29.07.2025	3,064
19	1637 दिनांक 19.03.2015	2,00,000	डी.सी.बि.-646 दिनांक 01.08.2025	3,758
कुल		3,29,96,138		

** आर एंड पी नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।

परिशिष्ट 3.4
(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (लोक नायक अस्पताल)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार समायोजित किया गया	समायोजन में विलंब** (दिनों में)
1	5114 दिनांक 10.05.2021	50,00,000	डी.सी.बि.-5333 दिनांक 31.03.2025	1,391
2	5167 दिनांक 19.05.2021	50,00,000	डी.सी.बि.-5335 दिनांक 31.03.2025	1,382
3	5131 दिनांक 13.05.2021	50,00,000	डी.सी.बि.-5334 दिनांक 31.03.2025	1,388
4	1545 दिनांक 20.03.2010	7,12,935	डी.सी.बि.-5322 दिनांक 29.03.2025	5,458
कुल		1,57,12,935		

** सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।

परिशिष्ट 3.5
(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार समायोजित किया गया	समायोजन में विलंब** (दिनों में)
1	302 दिनांक 01.09.2015	48,11,948	डी.सी.बि.-297 दिनांक 19.08.2025	3,610
2	27 दिनांक 21.04.2015	24,78,570	डी.सी.बि.-295 दिनांक 19.08.2025	3,743
3	525 दिनांक 09.11.2016	25,13,536	डी.सी.बि.-293 दिनांक 19.08.2025	3,175
4	701 दिनांक 13.02.2018	11,92,210	डी.सी.बि.-292 दिनांक 19.08.2025	2,715
5	17 दिनांक 17.04.2018	11,37,846	डी.सी.बि.-291 दिनांक 19.08.2025	2,651
6	132 दिनांक 28.07.2023	1,82,221	डी.सी.बि.-238 दिनांक 04.08.2025	708
7	191 दिनांक 10.07.2015	78,03,982	डी.सी.बि.-221 दिनांक 19.07.2025	3,632
8	380 दिनांक 04.09.2017	20,49,496	डी.सी.बि.-220 दिनांक 19.07.2025	2,845
9	379 दिनांक 04.09.2017	24,96,738	डी.सी.बि.-219 दिनांक 19.07.2025	2,845
10	137 दिनांक 01.06.2017	17,23,745	डी.सी.बि.-218 दिनांक 19.07.2025	2,941
11	479 दिनांक 08.03.2024	1,41,600	डी.सी.बि.-66 दिनांक 13.05.2025	402
कुल		2,65,31,892		

** सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।

परिशिष्ट 3.6
(पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में विलंब (पुरातत्व विभाग)

क्रम सं.	ए.सी. बिल सं. और दिनांक	आहरित राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटाया गया	निपटान में विलंब
1	ए.सी.बि.- 151 दिनांक 30.08.2023	31,09,278	डी.सी.बि.-36 दिनांक 01.05.2025	580
2	ए.सी.बि.- 342 दिनांक 06.03.2024	5,80,00,000	डी.सी.बि.-53 दिनांक 19.05.2025	409
कुल		6,11,09,278		

**** सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार 30 दिनों के अधिकतम निर्धारित समय को घटाने के बाद विलंब पर विचार किया गया।**

परिशिष्ट 3.7
(पैराग्राफ 3.10 (ii) में संदर्भित)

ऋण और अग्रिमों का बकाया

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/अन्य ऋणी का नाम	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि (₹ लाख में)			प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	लंबित रहने की अवधि (वर्षों में)
		मूलधन	ब्याज	कुल		
1.	दिल्ली नगर निगम	3,75,226.83	4,69,851.22	8,45,078.05	1950-51	74 वर्ष
2.	दिल्ली जल बोर्ड	40,11,103.11	44,17,592.14	84,28,695.25	1998-99	26 वर्ष
3.	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड	1,25,520.76	97,206.5	2,22,727.26	2011-12	13 वर्ष
4.	दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड	315.05	0	315.05	1977-78	47 वर्ष
5.	दिल्ली एस.सी. वित्तीय विकास निगम दिल्ली	6,876.06	4,431.57	11,307.63	1987-88	37 वर्ष
6.	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससीएल)	436.34	1,590.88	2,027.22	1998-99	26 वर्ष
7.	दिल्ली वित्तीय विकास निगम	3,300.00	3,790.98	7,090.98	2015-16	09 वर्ष
8.	सहकारी संस्थाएं	61.33	249.04	310.37	1962-63	62 वर्ष
9.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	0	3,753.94	3,753.94	2018-19	06 वर्ष
10.	दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड	3,32,639.00	4,23,248.43	7,55,887.43	2014-15	10 वर्ष
11.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	4,592.63	4,592.63	2014-15	10 वर्ष
12.	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)	0	33,769.37	33,769.37	2012-13	12 वर्ष
13.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	225.00	1,206.90	1,431.90	1979-80	45 वर्ष
14.	दिल्ली परिवहन निगम	11,67,614.46	82,51,115.36	94,18,729.82	1996-97	28 वर्ष
15.	इंद्रप्रस्थ सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	48,000.00	0	48,000.00	2008-09	16 वर्ष
16.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	0	637.74	637.74	1973-74	51 वर्ष
17.	दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	119.82	773.56	893.38	2005-06	19 वर्ष
18.	उद्योग	8.39	387.32	395.71	1981-82	43 वर्ष
कुल योग		60,71,446.15	1,37,14,197.58	1,97,85,643.73		

परिशिष्ट 3.8

(पैराग्राफ 3.10 (iii) में संदर्भित)

वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निवेश संबंधी संचयी आंकड़ों में अंतर

क्रम सं.	विवरण सं.11 में दर्शाया गया निवेश	राशि (₹ हजार में)
1	4216.80.201- आवास बोर्ड में निवेश	3,00,200
2	4217.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	70,000
3	4217.02.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	35,07,500
4	4225.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	2,34,887
5	4425.00.107- क्रेडिट सहकारियों में निवेश	4,852
6	4425.00.108- अन्य सहकारियों में निवेश	1,557
7	4425.00.200- अन्य निवेश	4,531
8	4801.05.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	7,10,67,800
9	4853.60.190- निवेश में जनता क्षेत्र और अन्य उपक्रम	31,800
10	4885.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	1,73,500
11	5055.00.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	14,53,53,442
12	5452.80.190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	2,43,181
	2024-25 के अंत में निवेश की संचयी राशि जो विवरण सं.11 में दर्शाई गई है	22,09,93,250
	विवरण सं.12 और विवरण सं.12 के अनुलग्नक में दर्शाई गई राशि	21,81,00,891
	विवरण सं.12 में दर्शाए गए आंकड़े और कुल के संचयी आंकड़े के बीच अंतर (13-14)	28,92,359

परिशिष्ट 3.9
(पैराग्राफ 3.10 (vi) में संदर्भित)
मार्च 2025 के अंत तक निवेश का विवरण

(₹ हजार में)

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	2024-25 तक निवेश
1	दिल्ली सहकारी आवास वित्त-पोषण सोसाइटी लिमिटेड	3,02,600
2	अन्य सहकारी समितियां	3,748
3	श्रमिक सहकारी समितियां	180
4	उपभोक्ता सहकारी समितियां	9,296
5	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	8,003
6	मुर्गी पालन सहकारी समितियां	10
7	संयुक्त खेती सहकारी समितियां	219
8	विपणन सहकारी समितियां	159
9	कृषि ऋण समितियां	1,423
10	दिल्ली वित्त निगम	1,80,500
11	दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम	3,81,252
12	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	12,44,14,752
13	दिल्ली परिवहन निगम	1,98,38,500
14	डीआईएमटीएस लिमिटेड	73,045
15	इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	59,65,400
16	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	3,69,10,000
17	दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड	74,50,500
18	प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,07,41,900
19	डीटीआईडीसी लिमिटेड	10,60,660
20	जियोस्पेसियल दिल्ली लिमिटेड	1,07,633
21	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	1
कुल		21,74,49,781

